

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 228/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002
 इंडसइंड बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी निहाल सिंह
 रजिस्टर्ड कार्यालय:- 2401, जनरल थिमाइया रोड, (केन्टोनमेन्ट), पूणे - 411001
 जॉनल कार्यालय:- यूनिक एस्पायर, 5th फ्लोर, अमरपाली मार्ग, ब्लॉक ई, वैशाली नगर,
 जयपुर 302021 (राज.)

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. Ashok R/o Ward No. 6, Nathuwala, Dokan, Neemkathana, Sikar, Raj-332718
2. Rajendra Prasad R/o Near by Soldier School, Mohalla Bachhari, Kotputli, Jaipur, Rajasthan-303108

—अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 08 दिसम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री त्रिलोक सिंह शेखावत द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः Ashok एवं Rajendra Prasad की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक सम्पत्ति "TATA LPK 2518 TC BS IV" है। जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 23 GB 5977 है एवं चेसिस नम्बर MAT448803H3G16109 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹17,15,649/- (अक्षरे रूपये सत्रह लाख पन्द्रह हजार छः सौ उनचास) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.03.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अतुल चौधरी उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण राशि भुगतान सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **13.03.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **Ashok** एवं **Rajendra Prasad** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक सम्पत्ति "**TATA LPK 2518 TC BS IV**" है। जिसका **रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 23 GB 5977** है एवं चेसिस नम्बर **MAT448803H3G16109** है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **08 दिसम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर